

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में “फोटोग्राफर” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के काजा सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में “फोटोग्राफर” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

नई दिल्ली
दिनांक :

अभिषेक पांडेय
(अभिषेक पांडेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061510

(अभिषेक पांडेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2024

सा.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सुचेता कृपलिनी अस्पताल, नई दिल्ली, 1981 को, जहाँ तक इसका संबंध फोटोग्राफर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण करने से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सुचेता कृपलिनी अस्पताल, नई दिल्ली में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सुचेता कृपलिनी अस्पताल, नई दिल्ली, फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता:- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्री जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्री के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य

पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फोटोग्राफर	*03 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', भाराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये/-)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समयसमय-पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

				टिप्पणी: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता एं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता एं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिद्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)	
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 2. सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्विद्यालय से फोटोग्राफी (कम से कम 1 वर्ष की अवधि)में	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविहित कम से दो सप्ताह की अवधि लन जिसके न हो का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा सकने पर सीधी करना अनिवार्य होगा।	टिप्पणी:- केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से दो सप्ताह की अवधि लन जिसके न हो का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
डिप्लोमा । 3. किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सीय फोटोग्राफी का 2 वर्ष का अनुभव ।				
टिप्पणी 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अन्य रिक्तियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग				

या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्यास संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या निजी क्षेत्रों के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी:	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
(क) (i) जो नियमित आधार परमूल संवर्ग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100रुपये) या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और	1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसएसकेएच -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक प्रशासन (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा	

(ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए महानिदेशालय- सदस्य -
जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं सदस्य;
और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: केवल केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी के ही आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।

3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसएसकेएच -सदस्य;

[[A.11018/18/2024-MH-II]]

अभिषेक पांडे, अवर सचिव, भारत सरकार